भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3135

18 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल में लाइफ मिशन का कार्यान्वयन

†3135. **डॉ. शशि थरूरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में आजीविका**,** समावेशन और वित्तीय सशक्तीकरण (लाइफ) मिशन के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों**,** पूर्ण हो चुके और निर्माणाधीन मकानों की जिला-वार संख्या कितनी है**;**
(ख) क्या सरकार को स्थानीय निकायों की वित्तीय बाधाओं के कारण निर्माण में देरी और अनियमित निधि प्रवाह की जानकारी है और यदि हां**,** तो लंबित बकायों को चुकाने के लिए कथित 1,500 करोड़ रुपये के उधार सहित सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है**;**
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि तिरुवनंतपुरम जिले में भूमिहीन**,** बेघर और जनजातीय परिवारों को समयबद्ध तरीके से उनके घर मिलें**,** जिसमें वर्तमान निर्माण मुद्रास्फीति को दर्शाते हुए अद्यतन इकाई लागत शामिल हो और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**;** और
(घ) सरकार द्वारा समय पर पूरा होने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कार्यान्वयन**,** निधि-प्रवाह पारदर्शिता और पूरा होने की दर की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। इसलिए, केरल में आजीविका, समावेशन और वित्तीय सशक्तीकरण (लाइफ) मिशन सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित आंकडे मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) केरल राज्य सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू का कार्यान्वयन करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पीएमएवाई-यू योजना की कार्यान्वयन अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, को वित्तपोषण

पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

केरल राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को लाइफ मिशन कार्यक्रम के तहत अपनी आवास योजना के साथ जोड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केरल सरकार (जीओके) द्वारा 2016 में लाइफ मिशन शुरू किया गया था, ताकि राज्य में भूमिहीन और बेघर लोगों को व्यापक रूप से आवास प्रदान किए जा सकें, साथ ही उनकी आजीविका को आगे बढ़ाने के प्रावधान, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, वृद्धावस्था सहायता, कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं के समावेश आदि के प्रावधान सहित सामाजिक सेवाओं को शामिल किया जा सके।

केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू की शुरूआत से पात्र लाभार्थियों के लिए कुल 1.62 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1.55 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है; और 24.11.2025 तक 1.38 लाख आवास सौंपे/पूर्ण हो गए हैं। केरल राज्य के लिए 2,700.71 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; जिसमें से केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालनों के आधार पर राज्य को अब तक 2,499.36 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के तहत, केरल राज्य में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे किए गए आवासों की संख्या का जिला-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है।

अब तक, केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस प्रकार, केरल सरकार द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। केरल सरकार (जीओके) द्वारा सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने के कारण, राज्य के संभावित लाभार्थी पक्के आवास पाने के अवसर खो रहे हैं।

*****

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3135 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

केरल राज्य में पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे किए गए आवासों का जिला-वार विवरण

क्र. सं.	ज़िला	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)		
		स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण
1	अलप्पुझा	8,934	8,599	7,555
2	एर्नाकुलम	24,262	23,125	21,321
3	इडुक्की	2,693	2,639	2,352
4	कन्नूर	10,597	10,544	10,075
5	कासरगोड	3,395	3,228	2,590
6	कोल्लम	12,671	12,010	9,660
7	कोट्टायम	5,232	4,693	4,109
8	कोझिकोड	13,931	13,833	12,953
9	मलप्पुरम	18,956	18,599	16,599
10	पलक्कड़	12,372	12,096	10,932
11	पथानामथिट्टा	3,384	3,061	2,446
12	तिरुवनंतपुरम	25,300	23,845	20,726
13	त्रिशूर	14,180	13,593	12,611
14	वायनाड	6,050	5,566	4,439
कुल		**1,61,957**	**1,55,431**	**1,38,368**

नोट: केरल ने अभी तक पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।